कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)
पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र
REGISTRATION-CUM-MEMBERSHIP CERTIFICATE

मै. / M/s. **KK(OL)INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED**
C/O HARIHAR GIRI NARASINGHAPUR ASADTALA KANKRAGRAM MEDINIPUR WEST BENGAL INDIA 721656
KOLKATA
West Bengal
721656

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह निर्यातक निम्नलिखित विवरणों के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में पंजीकृत है :
This is to certify that the firm is registered with the Agricultural And Processed Food Products Export Development Authority, as per the following particulars :

1) उत्पाद जिसके लिए पंजीकृत है (उत्पादों का विवरण नीचे दिया गया है)/Product for which registered (Products details given overleaf): **ALL APEDA Scheduled Products**
2) आई. ई. कोड / IE/DDE: **AAJCK5528p**
3) स्थापना तिथि / Date of establishment: **5/25/2022 12:00:00 AM**
4) पंजीकरण संख्या / Registration No.: **224604**
5) उत्पादक निर्यातक/व्यापारी निर्यातक / Manufacturer Exporter/Merchant Exporter: **Merchant**
6) मालिक/भागीदारी निदेशकों के नाम / Name(s) of Proprietor/Partner (s)/Director(s): **KRISHNA GOPAL MALLIK, SUJATA MALLIK GIRI**

यह प्रमाण-पत्र एपेडा अधिनियम 1985 (1986 का अधिनियम संख्यांक 2) में निहित शर्तों के अधीन जारी किया गया है।
This certificate is issued subject to the conditions laid down in APEDA ACT 1985 (No. 2 of 1986) of the Authority.

प्रमाण-पत्र मान्य तिथि / The certificate is valid till: **12/03/2026**
पंजीकरण की तिथि / Date of Registration : **13/03/2023**

यह आर सी एम सी इलैक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट किया गया है।
This RCMC is electronically generated

पंजीकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Registering Authority

शर्तें एवं निबंधन अगले पृष्ठ पर
Terms & Conditions are mentioned on the next page.

Signature Not Verified
Digitally signed by SANDEEP SAHA
Date: 2023.03.13 15:59:21 IST
Reason: RCMC Certificate
Location: APEDA Kolkata

शर्तें एवं निबंधने
Terms & Conditions

1. पंजीकरण का प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक से एक प्रमाण पत्र के निर्धारित है।
The validity date of Registration Certificate is as specified in the RCMC.
2. प्रत्येक निर्यातक को अनिवार्यतः आंकिक निर्यात विवरण (ईडीई) प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि किसी वर्ष में निर्यात नहीं किया गया हो, तो शून्य विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जो निर्यातक अनिवार्यतः विवरण विवरणी (ईडीई) शून्य होने पर भी) करने में असफल होंगे, वे डिरेजिस्टर निर्यातकों की सूची से सम्बन्धित होंगे और उनका पंजीकरण रद्द होने की संभावना होगी।
Filling of online (monthly) export return is mandatory. In case of no export (nil return), filling of nil return for the month is mandatory. The exporters who fails to file their online export returns (even NIL returns) shall be liable to be fall in the list of defaulter exporters and may face de-registration.
3. पंजीकरण के प्रमाण पत्र नहीं करने के पांच वर्ष उपरान्त नहीं नवीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
Renewal fees will be charged after completion of five years from the date of registration with APEDA.
4. पंजीकरण के प्रमाण पत्र नहीं होने के पश्चात यदि वर्ष के निर्धारित समयावधि/अवधि के अन्दर वर्ष का कोई कार्यकलाप, एपीडा या संबंधी कार्यालयय, एपीडा या संबंधी कार्यालयय जैसे सरीसृप मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, कॉमर्स एवं उद्योग एवं सीमाशुल्क बोर्ड इत्यादि के प्रतिकूल नोटिस से आने पर, इस पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।
The registration may be cancelled if any Director/Partner/Proprietor or the activity of the firm comes to the adverse notice of APEDA or concerned Govt. Authorities including Ministry of commerce, DGFT, Ministry of Finance, Central Board of Excise & Customs etc.
5. पंजीकृत फर्म को दिये गये यूज़र आई.डी एवं पासवर्ड के द्वारा, अपने फर्म का विवरण जैसे फोन/फैक्स है, जैसे इसमें एपीडा वेबसाइट में अपडेट कर सकते हैं।
Registered members may change the communication details of the company such as phone/fax/e-mail etc.APEDA website using the user ID& password provided to them.
6. पंजीकृत फर्म से संबंधित पत्र व्यवहार, ईमेल व कार्यालय अतिरिक्त कार्यालय/शाखाओं इत्यादि से संबंधित हेतु संशोधित आई.ई कोड की प्रतिलिपि आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
For change in the communication address/addition of branches/factories, copy of amended IE Code is required to be submitted with the online application for update.
7. पंजीकृत फर्म के निदेशकों में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस संशोधन हेतु फर्म्स में 32 की प्रतिलिपि संशोधित आई.ई कोड की प्रतिलिपि सहित आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
For change of director(s) of the company, as per resolution passed on Form 32 by the members of the company along with amended copy of IE code is required to be submitted with the online application for update.
8. पंजीकृत फर्म के संविधान में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस परिवर्तन को निर्दिष्ट करते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन संशोधित आई.ई कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी होगी। साझेदारी से परिवर्तन हेतु साझेदारी फर्म को भी चेंजरी द्वारा अनुप्रमाणित फर्म की साझेदारी डीड संशोधित आई.ई कोड की प्रतिलिपि सहित आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
For change in the constitution of the company, a copy of memorandum of Association & Articles of association incorporating the changes along with amended copy of IEC code is required. Partnership firm should submit a copy of partnership deed attested by notary along with amended copy of IE code to be submitted with the online application for update.
9. कंपनी के मामले में परिवर्तन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से परिवर्तित नए फर्म को निर्दिष्ट करते हुए संशोधित आई.ई कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करें।
For change in name of the company, certificate of incorporation of new name from Registrar of companies along with amended copy of IE code.
10. यदि निर्यातक उपयुक्त निर्यातक है तो एपीडा अनुसूचित उत्पादों की अपने पंजीकरण में जोड़ने एवं हटाने के लिए निर्यातक को उपयुक्त प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
For addition/deletion of APEDA's scheduled products, a copy of manufacturing proof is required in case of manufacturer exporter.

एपीडा अनुसूचित उत्पाद
APEDA Scheduled Products

01 पुष्पवृक्षि एवं बीज / Floriculture & Seeds

01. पुष्पवृक्षि / Floriculture
02. सब्जियों के बीज / Vegetables seeds
03. जड़ी बूटी एवं औषधीय पौधे / Herbal & Medicinal Plants

02 फल एवं सब्जियाँ / Fruits & Vegetables

01. ताजे फलल / Fresh Onions
02. अन्य ताजी सब्जियाँ / Others Fresh Vegetables
03. अखरोट / Walnut
04. ताजे अंगूर / Fresh Mangoes
05. ताजे अंजूर / Fresh Grapes
06. अन्य ताजे फल / Others Fresh Fruits

03 प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ / Processed Fruits & Vegetables

01. सूखी एवं नमी रहित सब्जियाँ / Dried & Preserved Vegetables
02. आम का गूदा / Mango Pulp
03. अचार एवं चटनी / Pickles & Chutney
04. अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ / Other Processed Fruits & Vegetables

04 पशु उत्पाद / Animal Products

01. भैंस का मांस / Buffalo Meat
02. भेड़/बकरी का मांस / Sheep/ Goat Meat
03. मुर्गापालन उत्पाद / Poultry Products
04. डेयरी उत्पाद / Dairy Products
05. पशु आहार / Animal Cratings
06. प्रसंस्कृत मांस / Processed Meat
07. सूअर / Hoopy
08. अन्य पशु आहार के साथ

05 अन्य प्रसंस्कृत खाद्य / Other Processed Foods

01. मूंगफली / Groundnuts
02. गवार-गम / Guargum
03. गुड़ व कन्फेक्शनरी / Jaggery & Confectionery
04. कोको उत्पाद / Cocoa Products
05. अनाज से तैयार उत्पाद / Cereal Preparations
06. माल्ट का एवं माल्ट का पेय / Alcoholic & Non Alch. Bev.
07. विविध तैयारित उत्पाद / Miscellaneous Preparations

06 अनाज / Cereals

01. गैर बासमती चावल / Non Basmati Rice
02. बासमती चावल / Basmati Rice
03. गेहूँ / Wheat
04. अन्य मोटे अनाज / Other Coarse Grains

08 तेल रहित चावल भूसी / De-oiled Rice Bran

01. तेल-रहित चावल भूसी / De-oiled Rice Bran